आवश्यकता है:—

अल्पसंख्यक बी0टी0सी0 कालेज को टीचर्स की आवश्यकता है।

आदर्श कालेज आफ एजूकेशन, सलारपुर, पो0 देवाशरीफ, जिला–बाराबंकी; जो एन.सी.टी.ई. जयपुर से मान्यता (Recognition) प्राप्त व उत्तर प्रदेश शासन/परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से सम्बद्धता (Affiliation) प्राप्त है; को टीचर्स की आवश्यकता है, जिसके लिये शैक्षिक योग्यता का विवरण निम्नलिखित अनुसार है:–

A. प्रिंसिपल/एच.ओ.डी.:– (1) Post Graduate Degree in Science/Social Science/Arts/Humanities with 55% marks, and M.Ed./M.A. (Education)/M.EL.Ed. with minimum 50% marks

(2) 5 years teaching experience in a Teacher Education Institution.

Desirable:- Degree/Deploma in Educational Administration/ Eduactional Leadership.

B. Perspectives in Education/Foundation of Education & Curriculum and Pedagogy:- (1) Masters Degree in Social Science/ Humanities/Science/Maths/Language (Hindi, English, Urdu) with 50% Marks, and M.Ed. with 50% marks or M.A. (Education) with 50% Marks.

(2) Post graduate in Philosophy/Sociology/Psychology with 50% marks and B.El.Ed. or B.Ed. or D.El.Ed. with 50% marks or M.Phil./ Ph.D. in Eduaction.

C. Visual and Performing Arts:- Master's Degree in Fine Arts/Music/ Dance/Theatre with 50% marks.

D. Computer Lab Assistant:- B.C.A./B-Tech with computer Science.

E. Librarian :— B. Lib.

कृपया उक्त पदों पर कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षिक अभिलेखों, फोटोग्राफ, जाति प्रमाण–पत्र, सहित अपना बायोडाटा शीघ्र निम्नलिखित पते पर भेजें:–

समीउल्लाह अन्सारी, मुख्य ट्रस्टी, आइडियल एजूकेशनल ट्रस्ट, 1/176 ए, विजयखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010

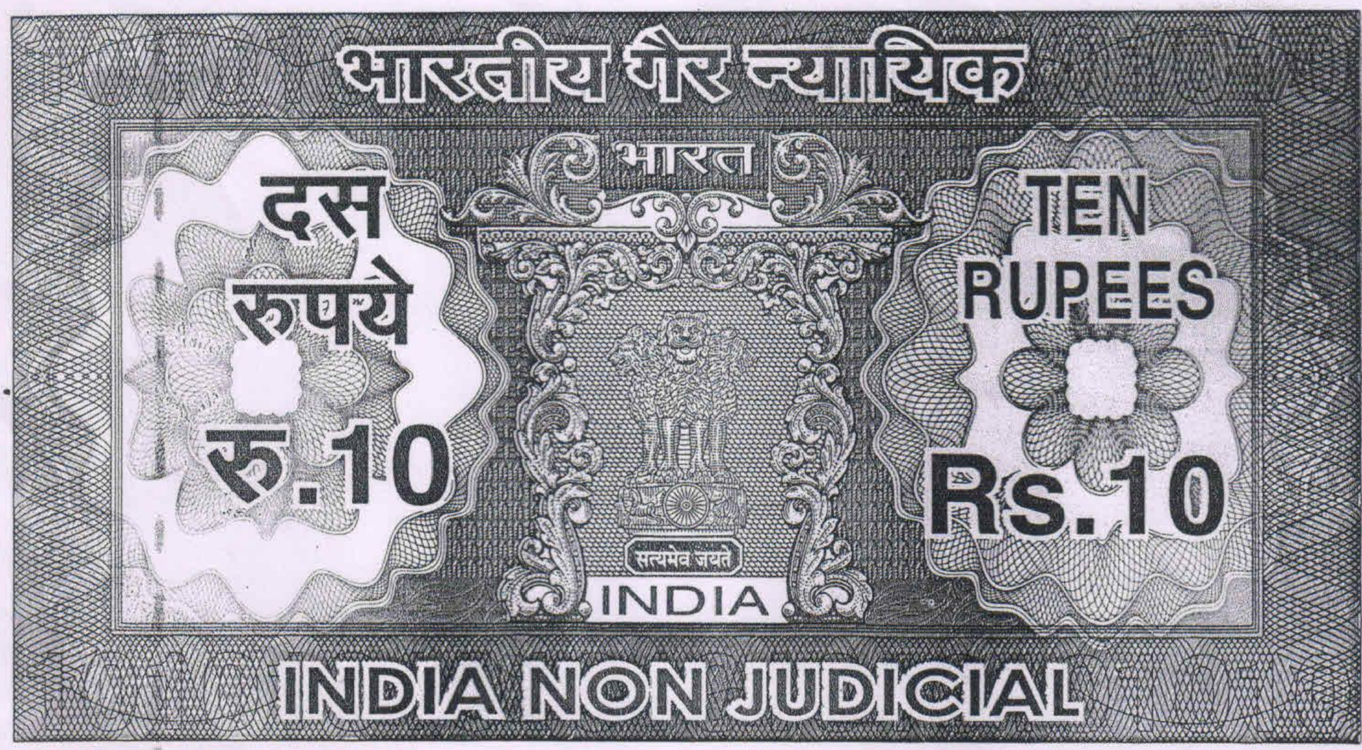

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

86AC 703719

Online Application ID No. NRCAPP-11923 & NRCAPP-823
ADARSH COLLEGE OF EDUCATION, SALARPUR, DEWASHARIF, BARABANKI (U.P.)

UNDERTAKING

I declare that I am the authorized signatory for this application and authorized by our Trust to submit this application. I have gone through the NCTE Act. 1993 and NCTE (Recognition, Norms and Procedure) regulations, 2014 and fully aware of all the conditions to be fulfilled for grant of recognition. I shall be fully responsible for submission of any wrong information and shall abide by the decision taken by the Regional committee. If at any stage during the processing of this application, it is found that the information furnished in this application is wrong, action may be initiated against me/the Trust as per law.

26-10-2015

Signature with Seal
Name: Samiullah Ansari
Designation: Main Trustee

Trustee/authorized Designated Authority
Ideal Educational Trust

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CX 332557

Online Application ID No. NRCAPP-11923 & NRCAPP-823

आदर्श कालेज आफ एजूकेशन, सलारपुर, देवांशरीफ, बारबांकी (उ0प्र0) - 6 OCT

पत्रांक सं0 ACE/BTC/II Unit/Regul-2014/121, दिनांक: 26.10.2015 संबंधी शपथ–पत्र

AFFIDAVIT

Before-Competent Authority/The Regional Director, Northern Regional Committee NCTE, Jaipur-302005 (Rajasthan).

I, *Samiullah Ansari* Son of Late *Shri Abulais Ansari Resident of 1/176 A, Vijay Khand, Gomtinagar, Lucknow (U.P.) and* Manager of *Adarsh College of Education, Salarpur, P.O. Dewashareef-* Distt. Barabanki (U.P.) 225301 certify that I have been authorized by the Management of above mentioned institution to give this affidavit on behalf of the institution, which at present offers D.El.Ed. Course of 2 years duration (File code No. NRCAPP-823) with an annual intake of 50. It is further certified that the Management has studied the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014 carefully and has understood their implications for the existing Teachers Education Institutions offering NCTE recognized teacher education programme (s).

Further, I have been authorized by the Management to state that the institution shall fulfill the revised Norms, relating to infrastructure, instructional facilities, enhanced amount of endowment and Reserve Funds, number and qualifications of teaching staff, curriculum and implementation strategies, in view of the change in duration/ Intake of the programme (s) offered in the Institution within the time limit allowed by NCTE.

SWORN AND VERIFIED BEFORE ME

Shyam Sunder Nath Shukla Advocate & Notary Regd. No. 31(28)2000 Lucknow (U.P.) INDIA

Place: Lucknow

Date:

Signature 26-10-2015

Name and designation

(Samiullah Ansari)

Manager

Adarsh College of Education, Salarpur, Dewan, Barabanki (U.P.)

I identify the deponent/executant who has Signed/T.I. before me.

26/10/15

NOTARY S.S.N. SHUKLA Adv. & Notary Regd. No. 31(28)2000 Lucknow U.P. INDIA GOVT. OF U.P. INDIA

Annexure-23

आदर्श कालेज आफ़ एजूकेशन
ग्रा० सलारपुर, पो० देवाशरीफ़
जिला - बाराबंकी (उ०प्र०)
का

नजरी नक्शा (स्थिति)

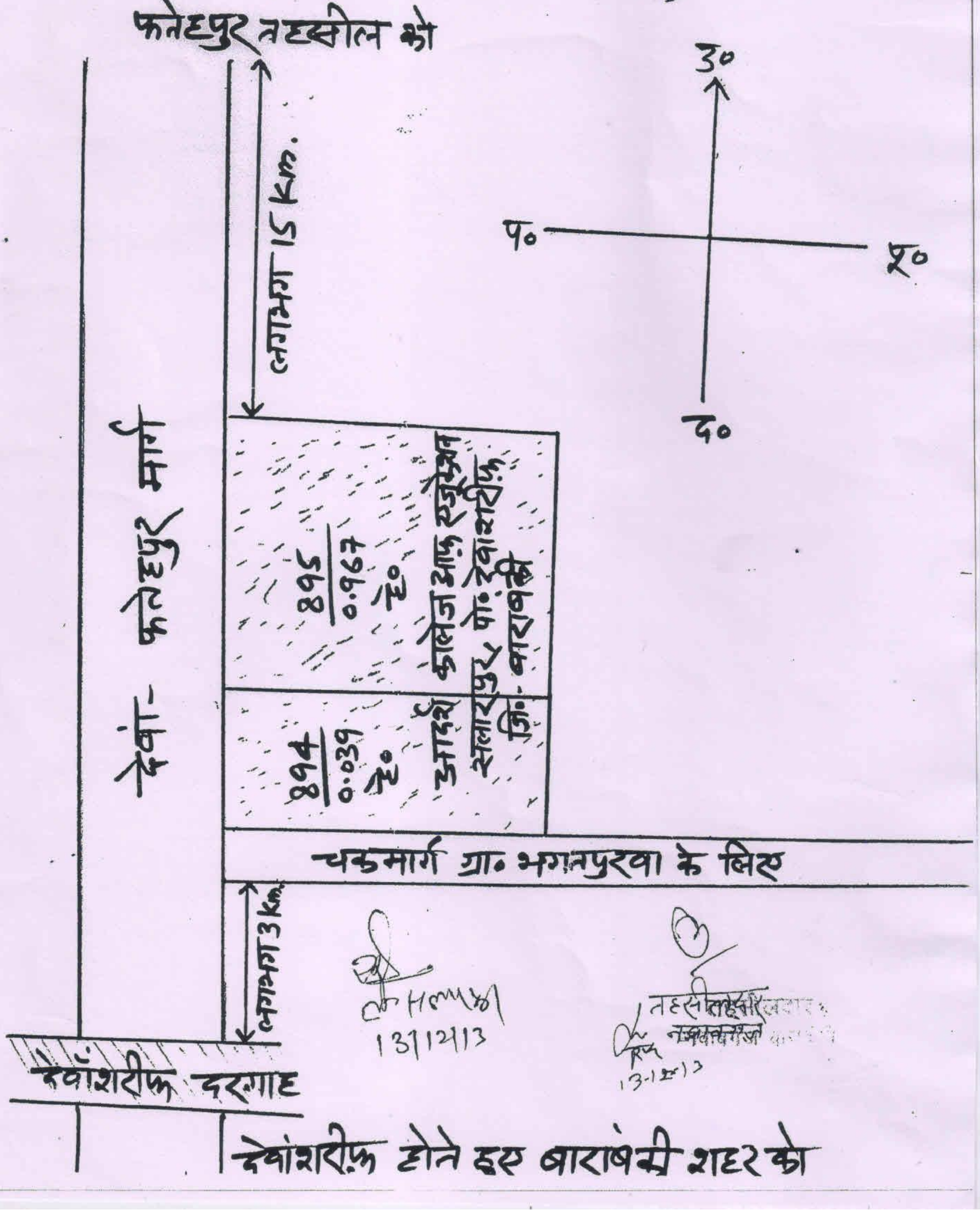

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड–बाराबंकी

पत्रांक : 40 /ग्रा0अ0वि0/भवन/प्र0पत्र/2015–16 दिनांक : 8/4/2015

भवन का N.B.C. प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आदर्श कालेज एजूकेशन सलारपुर देवांशरीफ, बाराबंकी का भवन वर्ष 2005 के एन0बी0सी0 के भवन मानक विशिष्टियों के अनुरूप बना है।

(दशरथ राम)
अवर अभियन्ता
ग्रा० अ० वि०
बाराबंकी
(वि० ख० देवा)

(राम स्वरूप राव)
सहायक अभियन्ता
ग्रा० अ० वि० बाराबंकी

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड–बाराबंकी।

Office of Secretary, Examination Regulatory Authority, U.P. Allahabad

Ref No./ BTC/NOC/ 01-150 /2015-16 Date 25 May, 2015

NO OBJECTION CERTIFICATE

As the Affiliating Body/Examination Regulatory Authority this organisation has **'No Objection'** to affiliate the applicant ADARSH COLLEGE OF EDUCATION, SALARPUR, DEWASHAREEF, BARABANKI for additional unit intake in D.El.Ed programme. The said institution may make an application before Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education (NCTE) for consideration of recognition subject to fulfillment of the conditions prescribed by NCTE Regulation 2014.

Such affiliation will ensure adoption of the D.El.Ed Curriculum prescribed by the NCTE, conduct of examinations and award of Degrees. The Affiliating Body/Examination Regulatory Authority will also participate in the faculty/recruitment process and certify the approved faculty list.

The Affiliating Body/Examination Regulatory Authority will also monitor the functioning of the institution to ensure its adherence to the Norms and Standards prescribed by NCTE and observance of U.P. State Government conditions of affiliation.

Smt.(Neena Srivastava)
Secretary
Examination Regulatory Authority
U.P. Allahabad

Cc. Ref No and Date as above –

1. Director, SCERT U.P. Lucknow.
2. Regional Director, Northern Committee, Fourth Floor Jeevan Nidhi – II, LIC Building, Bhawani Singh Marg, Ambedkar Circle, Jaipur , Rajasthan - 302005.
3. Principal DIET Barabanki.
4. Manager/Secretary Adarsh College Of Education, Salarpur, Dewashareef, Barabanki.

Smt.(Neena Srivastava)
Secretary
Examination Regulatory Authority
U.P. Allahabad

भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र

उद्धरण खतौनी

(शासकीय कार्य हेतु) I

ग्राम क्रमांक : 48010200076 ग्राम का नाम : सलारपुर परगना : देवा तहसील : नवाबगंज

जनपद : बाराबंकी फसली वर्ष : 1420-1425 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सांराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00024	आदर्श कालेज ऑफ एजूकेशनल देवा बाराबंकी द्वारा प्रबन्धक/सचिव रफीउल्लाहअंसारी	- - समीउल्लाह अंसारी	- - नि 1/176 ए विजय खण्ड गोमती नगर लखनऊ	1407फ.	895मि	0.4150		1418फ.आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, नवाबगंज वाद सं.149/20.09.10को आदेश हुआ कि खाता सं.269की गाटा सं.895मि./0.255हे.को अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि धारा 143ज0वि0अ0 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है। ह.र.का. 25.09.10 1418फ.आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, वाद सं.49/03.3.11के अनुसार गाटा सं.895मि/0.160 को अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि धारा 143 ज0वि0अ0के अन्तर्गत घोषित किया जाता है। ह.र.का.30.4.11	
				कुल गाटे :	1 कुल क्षे :	0.4150		35.00	

मदन मोहन ।
लेखपाल/कम्प्यूटर ऑपरेटर
हस्ताक्षर
तह० नवाबगंज बाराबंकी

22/12/2015

भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र

उद्धरण खतौनी

(शासकीय कार्य हेतु)

II

ग्राम क्रमांक : 48010200076 ग्राम का नाम : सलारपुर परगना : देवा - तहसील : नवाबगंज

जनपद : बाराबंकी फसली वर्ष : 1420-1425 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00025	आदर्श महाविद्यालय देवा बाराबंकी द्वारा प्रबन्धक/सचिव रफीउल्लाह अंसारी	- - समीउल्लाह अंसारी	- - नि 1/176ए विजय खण्ड गोमती नगर लखनऊ	1417फ	895मि.	0.5520		1421फ.आदेशानुसार श्रीमान तह.न्यायिक महो.वाद सं.483/16.11.13द्वारा गाटा सं.895मि/0.552 मा.गु.25.00से आदर्श महाविद्यालय देवा बाराबंकी द्वारा प्रबन्धक/सचिव रफीउल्लाह अंसारी पुत्र समीउल्ला अंसारी नि 1/176ए विजय खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम खारिज करके आदर्श कालेज ऑफ एजूकेशन देवा बाराबंकी द्वारा प्रबन्धक /सचिव समीउल्लाह अंसारी पुत्र स्व0अब्दुलैस अंसारी नि 1/176ए विजय खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम द्वारा दानपत्र दिनांक 10.10.13 के आधार पर सं भू दर्ज हो। ह.र.का.29.11.13	
				कुल गाटे :	1 कुल क्षे :	0.5520	25.00		

हस्ताक्षर

22/12/2015

भू0–स्वामित्व प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **आदर्श कॉलेज ऑफ एजूकेशन,** सलारपुर, पो0–देवांशरीफ, जिला – बाराबंकी (उ0प्र0) के नाम 10060 वर्ग मी0 भूमि (गाटा संख्या 894 व गाटा संख्या 895) राजस्व अभिलेखों मे भू–स्वामी के रूप में दर्ज है।

13-12-13

तहसीलदार–नवाबगंज

जिला– बाराबंकी

संयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम– सलारपुर, पो0– देवांशरीफ, परगना– देवां, तहसील– नवाबगंज, जिला–बाराबंकी के गाटा सं0 894 रकबा 0.0390 हे0 व गाटा सं0 895 रकबा 0. 967 हे0 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अर्थात् दोनों गाटे संयुक्त हैं। राजस्व आभिलेखों में इन दोनों गाटों के भू–स्वामी के रूप में **आदर्श कॉलेज ऑफ एजूकेशन,** सलारपुर, देवां, जिला– बाराबंकी का नाम दर्ज है।

13-12-13

तहसीलदार–नवाबगंज

13-12-13 जिला– बाराबंकी

54627

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

अल्पसंख्यक संस्था प्रमाण पत्र I

प्रथम तल, जीवन तारा भवन, ५, संसद मार्ग
पटेल चौक, नई दिल्ली - ११०००१
1st Floor, Jeevan Tara Building, 5, Sansad Marg
Patel Chowk, New Delhi - 110001

CERTIFICATE

Dated............................

THIS IS TO CERTIFY THAT BY THE ORDER DATED 28TH DAY OF JULY 2011 PASSED BY THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS, NEW DELHI IN CASE NO. 690 OF 2011 (ADARSH COLLEGE OF EDUCATION, VILLAGE SALARPUR, P.O. DEWAN, DIST. BARABANKI, UTTAR PRADESH, VS. DEPUTY DIRECTOR, MINORITIES WELFARE DEPARTMENT, GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH), THE ADARSH COLLEGE OF EDUCATION RUN BY THE IDEAL EDUCATIONAL TRUST HAS BEEN DECLARED AS A MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTION COVERED UNDER SECTION 2 (g) OF THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 2004.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE COMMISSION ON THIS 28TH DAY OF JULY 2011.

National Commission For Minority Educational Institutions * Delhi *

(RAJ SINGH)
SECRETARY

संख्या– 1741 / 15–11–2013

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

ध्T – 771
11-6-13

अल्पसंख्यक संस्था माने जाने का
निर्णय II

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–11

लखनऊः दिनांकः 07 जून, 2013

विषयः आदर्श कालेज आफ एजूकेशन, ग्राम–सलारपुर, पो0–देवाशरीफ, जिला बाराबंकी को बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम हेतु अल्पसंख्यक संस्था माने जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या राशै0 / निशिसं0 / 6589 / 2013–14, दिनांक 30 मई, 2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आदर्श कालेज आफ एजूकेशन, ग्राम–सलारपुर, पो0–देवाशरीफ, जिला बाराबंकी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम–2004 की धारा–2(जी) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने विषयक निर्गत प्रमाण–पत्र के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत संस्थान आदर्श कालेज आफ एजूकेशन, ग्राम–सलारपुर, पो0–देवाशरीफ, जिला बाराबंकी को बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु अल्पसंख्यक संस्था माने जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

(अशोक कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बाराबंकी, उ0प्र0।
3– सचिव / प्रबन्धक, आदर्श कालेज आफ एजूकेशन, ग्राम–सलारपुर, पो0–देवाशरीफ, जिला बाराबंकी ।
4– गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(अशोक कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Tiwari-HP

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ0प्र0,इलाहाबाद

आदेश सं0/शि0स0/सम्बद्धता/ 317 /2013–14 दिनांक 11-5-13

कार्यालय ज्ञाप (सम्बद्धता आदेश) II

निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ के पत्रांक रा0शै0/नि0शि0सं0/4052/2013–14 दिनांक 10.05.2013 के साथ संलग्न शासनादेश सं0 1387/15–11–2012 शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊ दिनांक 09.05.2013 द्वारा निजी संस्थान **आदर्श कालेज ऑफ एजूकेशन, ग्राम सलारपुर, पो0 देवॉशरीफ, जिला बाराबंकी** को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तो तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **शैक्षिक सत्र 2012–13** से सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

1. संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
2. जिन मानकों एवं शर्तो के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमे राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्था पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये जाने वाले नियम लागू होंगे।
3. नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रकिया आरक्षण के नियम, परीक्षाशुल्क अन्य कोई भी चार्ज परीक्षा की समय सारणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
5. सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थाई अभिलेख होंगे जिन्हे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थाई रूप से रखा जायेगा।
6. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ की बेबसाइट के साथ हाइपरलिंक रखी जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख /अपडेट बेबसाइट पर किया जायेगा।
7. प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17 एवं 18 अप्रैल 2013 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु **शैक्षिक सत्र 2012–13 से** 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद

पृ0सं0 /शि0स0/सम्बद्धता / 3651-59 /2013–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0,शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, शिक्षा अनुभाग –11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0,लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0,लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक फैजाबाद मण्डल फैजाबाद।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, गणेशपुर, बाराबंकी।
8. प्रबन्धक/सचिव **आदर्श कालेज ऑफ एजूकेशन, ग्राम सलारपुर, पो0 देवॉशरीफ, जिला बाराबंकी ।**
9. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद

संख्या– 1307 /15–11–2013

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सम्बद्धता आदेश I

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊः दिनांक : 09 मई, 2013

विषय– निजी संस्थान आदर्श कालेज आफ एजूकेशन, ग्राम सलारपुर, पो0 देवॉशरीफ, जिला बाराबंकी को बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **निजी संस्थान आदर्श कालेज आफ एजूकेशन, ग्राम सलारपुर, पो0 देवॉशरीफ, जिला बाराबंकी** को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषय निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012–13 से सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

(1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।

(2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिर्वतन नहीं किया जायेगा। संस्था पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।

(3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।

(5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(6) संस्थान द्वारा अपनी बेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की बेबसाइट के साथ हाइपरलिंक रखी जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख/अपडेट बेबसाइट पर किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17 एवं 18 अप्रैल, 2013 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2012–13 से 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(अशोक कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या– 1307 (1)/15–11–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन–110002
2– क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ, मानसरोवर (नियर मानसरोवर स्टेडियम), जयपुर, राजस्थान।
3– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।
5– सचिव/प्रबन्धक, **आदर्श कालेज आफ एजूकेशन, ग्राम सलारपुर, पो0 देवॉशरीफ, जिला बाराबंकी ।**
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार सिंह)
अनु सचिव।